Fourteenth Loksabha

Session : 10
Date : 16-05-2007

Participants : Rawat Prof. Rasa Singh

>

Title : Need to include Ajmer district of Rajasthan under National Rural Employment Guarantee Scheme.

***mo1**

प्रो0 रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त गरीबी के उन्मूलन तथा ग्रामीण आबादी को शहरों की ओर जाने से रोकने तथा स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मुहैया कराने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वित की जा रही है। जिसके अंतर्गत दूसरे चरण में भी राजस्थान के 6 जिलों को ही सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करने तथा सभी प्रकार की पात्रता होने के कारण भारत सरकार तथा योजना आयोग से अनुरोध है कि पिछले 8 वर्षों से निरंतर अकाल एवं दुर्भिक्ष के थपेड़ों को सहन करने वाले 1050 गांवों वाले राजस्थान के बीचोंबीच स्थित अजमेर को भी राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अगले दौर में अवश्य सम्मिलित किया जाये।

राजस्थान के अजमेर जिले का अधिकांश क्षेत्र भूजल की दृटि से अतिशोति एवं अति संवेदनशील श्रेणी में आता है। भूजल संसाधन में भी निरंतर भयंकर कमी हो रही है, जहां सन 1984 में भूजल स्तर 7.70 अंकित हुआ था। वहां वर्तमान में यह 17-18 मीटर गहराई तक पहुंच गया है। पुकर गैप से अजमेर जिले में निरंतर थार रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है। जिले में भुखमरी की स्थिति है। अजमेर में बड़े उद्योगों का अभाव है, रोजगार सृजन नहीं के बराबर है। वर्ा ऋतु को छोडकर शेा वर्ा भर आबादी हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दिल्ली एवं मध्य प्रदेश आदि स्थानों पर जाने को मजबूर हैं।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर जिले के ग्रामीण अंचल में रहने वाले एवं खेती पर आधारित गरीब किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा परिवर्तित राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अजमेर जिले को सम्मिलित किया जाये।